

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सदरम्वर जारिचे रिपोर्ट पढ्यारी हत्का टिठपुरी वनाम सुरजीत सिंह 5/0 मकतल

प्रकरण अन्तगत घास 91एलआर एक्ट

प्रकरण नुंख्या 71/2018

निर्णय दिनांक - 13-4-18

पढ्याली प्रस्तुत हुई प्रकरण म्हाण न ह्या प्रकार हे कि माम टिठपुरी

जी अलवर नुं. 206 युल रकवा 0.66 किन्तु जमीन जे.मु. शरुता से 0.01

रकवा पर भी सुरजीत पुत्र मकतल सिंह ने अनाधिकृत रूप से अधिकरण कर घुडा

जालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पढ्यारी हत्का टिठपुरी द्वारा दिनांक

14-2-18 को उसके विलज कानूनी कर्मवली किये जाने की रिपोर्ट मय (अद्वय

मु.अ.निरी. टिठपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिकमी सुरजीत पुत्र मकतल सिंह राय सिन्हा निवासी टिठपुरी को नुं.

सदरम्वर अधिनियम 1958 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की जाणित

कराई गई। नोटिस बाद तामीर प्राप्त होने पर शामिल पढ्याली किया गया। अतिकमी

अव धकील उपस्थित आया। जवाब नोटिस भेज किया जो शामिल पढ्याली है।

उक्त रकवात आ.स.न. 206 रकवा 0.66 से 0.01

ज्यादे किन्तु जे.मु. शरुता हे जो नियमन के तहत रही हे लिगाज के तहत से अधिकरण

रकवा से बदखल किया जाने के आदेश दिए गए हे एवं नष्ट स्वरुप जमान 0.87/-

50 गुणा 44/- रुपये पेनल्टी आरोपित की जाने हे गांवा कायमी हेतु सेजालर को लिखा

आवे, पेनल्टी वसूली एवं बदखली हेतु हत्का पढ्यारी टिठपुरी मु.अ.निरी.

टिठपुरी को लिखा जाकर बाद तदधीन अधिल दफतर ही। निर्णय सुन न्यायालय में

सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार कठूमर (अलवर) (स.अ.)